

प्रेस नोट दिनांक 19.01.2023 थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर

थाना भवानीगंज पुलिस द्वारा 03 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय भेजा गया।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में गौरव सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 19.01.2023 को वाद सं० 312/19 धारा 504,506,498ए भा०द०वि० से सम्बन्धित वारंटी वसी उर्फ वसीउल्लाह पुत्र स्व० मो० शब्बीर निवासी करौंहा थाना खोडारे जनपद गोण्डा व वाद सं० 668/2019 धारा 279,337,338,304ए,427 भा०द०वि० से सम्बन्धित वारन्टी मो० कासिम पुत्र मो० तकी खान निवासी देवरिया मैनहा थाना उतरौला जनपद बलरामपुर एवं वाद सं० 1208/2019 धारा 323,324,504,506 भा०द०वि० से सम्बन्धित वारन्टी रामकमल पुत्र सुन्दर निवासी बायताल थाना भवानीगंज सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय भेजा गया

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. वसी उर्फ वसीउल्लाह पुत्र स्व० मो० शब्बीर निवासी करौंहा थाना खोडारे जनपद गोण्डा।
2. मो० कासिम पुत्र मो० तकी खान निवासी देवरिया मैनहा थाना उतरौला जनपद बलरामपुर।
3. रामकमल पुत्र सुन्दर निवासी बायताल थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. गौरव सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
2. उ०नि० दिग्विजय सिंह थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
3. उ०नि० अमरनाथ राम थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
4. हे०का० रोशन अली थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
5. का० विनय कुमार यादव, का० आकाश यादव, का० पंकज वर्मा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 19.01.2023 थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में बलजीत कुमार राव, प्रभारी निरीक्षक उसका बाजार के नेतृत्व में आज दिनांक 19.01.2023 को उसका बाजार पुलिस द्वारा फौजदारी वाद संख्या 1345/15 धारा 323,504,506 भादवि से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त दुखी पुत्र कटई निवासी फुलवरिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-दुखी पुत्र कटई निवासी फुलवरिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. उ0नि0 श्रीराम पाल थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

02. आरक्षी रामप्रकाश प्रजापति थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत थाना बांसी पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल 39 वाहनों की नीलामी कराकर मय GST कुल ₹ 4,77,900/- के राजस्व की प्राप्ति की गई।

सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अब तक कुल 634 वाहनों की नीलामी कर ₹ 87,91,360/- राजस्व प्राप्त किया गया।

Regards

Amit Kumar Anand
SP Siddharthnagar

प्रेस नोट- दिनांक 19-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेड़खानी के आरोपित को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹7,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 19-01-2023 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना इटवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 101/2019 धारा 354,506 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त समसुल्लाह पुत्र आयूब निवासी सिकरी थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर को प्रभावी पैरवी कर दण्डित कराया गया । उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को माननीय न्यायाधीश प्रमोद कुमार सिंह-2, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 7,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । दण्डित कराये जाने में एडीजीसी पवन कर पाठक व न्यायालय पैरवीकार मुख्य आरक्षी नागेन्द्र प्रताप गौड़ थाना इटवा का सराहनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट दिनांक 19-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर ।

जनपद सिद्धार्थनगर में आपराधिक क्रिया-कलापों पर सतत निगरानी हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा 03 अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत आज दिनांक 19-01-2023 को चोरी/नकबजनी/गैंगेस्टर एक्ट/गुण्डा एक्ट इत्यादि में संलिप्त 03 अभ्यस्त अभियुक्तों के आपराधिक क्रिया-कलापों पर सतत निगरानी के लिए हिस्ट्रीशीट खोली गयी । जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत हिस्ट्रीशीट खोलने, गुण्डा एक्ट में कार्यवाही, गैंग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है । जिसके अन्तर्गत अभियुक्त दिनेश तिवारी पुत्र राधेश्याम तिवारी निवासी मगरगाहा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध थाना बांसी पर, राजेश कुमार लोधी पुत्र स्व० शिवप्रसाद लोधी निवासी बेलसड़ मो० सरोजनी नगर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर, अजय कुमार गुप्ता पुत्र राजाराम उर्फ गूठे निवासी खजुरिया थाना व जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध थाना सिद्धार्थनगर पर हिस्ट्रीशीट खोली गई, जिन पर संबंधित थानों द्वारा निरंतर निगरानी रखी जायेगी ।

अभियुक्त दिनेश तिवारी पुत्र राधेश्याम तिवारी का आपराधिक इतिहास-

01-मु०अ०सं० 181/2019 धारा 461,379,411 भादवि० व 25 भा० तार अधिनियम थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर

02-मु०अ०सं० 231/2019 धारा 379,411,461 भा०द०वि० 25 भा० तार अधिनियम थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

03-मु०अ०सं० 119/2019 धारा 379 भा०द०वि० थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

04-मु०अ०सं० 31/2020 धारा 201,379,411,413,461 भादवि० 25 भा० तार अधिनियम थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

05- मु०अ०सं० निल/2022 धारा 3(3) गुण्डा नि० अधि० थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

अभियुक्त राजेश कुमार लोधी पुत्र स्व० शिवप्रसाद लोधी का आपराधिक इतिहास-

01-मु०अ०सं० 341/2020 धारा 457,380,411,413 भादवि० थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

02-मु०अ०सं० 317/2020 धारा 457,380,411 भादवि० थाना देबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।

03-मु०अ०सं० 252/2020 धारा 457,380,411 भादवि० थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर

04-मु०अ०सं० 18/2021 धारा 457,380,411,413 भादवि० थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

- 05-मु0अ0सं0 25/2021 धारा 457,380,411भादवि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
06-मु0अ0सं0 29/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
07-मु0अ0सं0 91/2021 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

अभियुक्त अजय कुमार गुप्ता पुत्र राजाराम उर्फ गूठे का आपराधिक इतिहास-

- 01-मु0अ0सं0 142/2018 धारा 457,380 भा0द0वि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
02-मु0अ0सं0 145/2018 धारा 457,380 भा0द0वि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
03-मु0अ0सं0 198/2018 धारा 379 भादवि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
04-मु0अ0सं0 59/2018 धारा 457,380 भादवि0 थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर ।
05-मु0अ0सं0 111/2018 धारा 379,411 भादवि0 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
06- मु0अ0सं0 246/2018 धारा 457,380 भादवि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
07- मु0अ0सं0 274/2018 धारा 41,411,419,420,467,468,471 भादवि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
08- मु0अ0सं0 341/2020 धारा 457,380,411 भादवि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
09- मु0अ0सं0 317/2020 धारा 457,380,411भादवि0 थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
10- मु0अ0सं0 252/2020 धारा 457,380,411 भादवि0 थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।
11- मु0अ0सं0 18/2021 धारा 457,380,411भादवि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
12- मु0अ0सं0 25/2021 धारा 457,380,411भादवि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
13- मु0अ0सं0 68/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
14- मु0अ0सं0 91/2021 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 19-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

ऑपरेशन प्रहार के तहत 01 अपराधी के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत आज दिनांक 19-01-2023 को चोरी,आर्म्स एक्ट,एनडीपीएस एक्ट आदि में संलिप्त 01 नफर अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के थाना सिद्धार्थनगर पर धारा 3(3) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की कार्यवाही की गयी ।

निम्नलिखित अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी-

1-सुहेल खान पुत्र कल्लू खान निवासी पिठनी खुर्द मो0 बुद्धनगर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 50वर्ष ।

प्रेस नोट दिनांक 19-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर ।

‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत थाना बांसी पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल 39 वाहनों की नीलामी कराकर मय GST कुल ₹ 4,77,900/- के राजस्व की प्राप्ति ।

सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अब तक कुल 634 वाहनों की नीलामी कर ₹ 87,91,360/- राजस्व प्राप्त किया गया

प्रायः थाना परिसर व परिसर के बाहर बेतरतीब तथा बेहिसाब संख्या में दो पहिया व चार पहिया वाहन खड़े रहते हैं। इन वाहनों से थाने की काफी अधिक भूमि व्यर्थ हो जाती है व दैनिक थाना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जिले के सभी थानों के भ्रमण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर में लम्बे समय से काफी संख्या में लावारिस, मालमुकदमाती व एम0वी0 एक्ट में सीजशुदा वाहन खड़े हैं। जो धूप, गर्मी, बरसात की वजह से जंग लगकर धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। जिस कारण से न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ ही राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हो रही है। वाहनों के क्षरण के कारण थाना परिसर में रहने व आने-जाने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना बनी रहती है। थाना परिसर में लम्बे समय से खड़े वाहनों के सम्बन्ध में समय-समय पर न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं ।


मा0 उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) सं0 2745/2002 सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में थाने में खड़े वाहनों के निस्तारण हेतु अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में थाने पर खड़े माल मुकदमाती

व अन्य वाहनों के निस्तारण हेतु जनपद सिद्धार्थनगर में 'आपरेशन क्लीन' 14 जुलाई 2022 से प्रारम्भ किया गया। 'आपरेशन क्लीन' के अन्तर्गत सभी थानों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध लक्ष्य दिया गया। सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर 'आपरेशन क्लीन' के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है।

आज दिनांक 19.01.2023 को राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज, श्री प्रमोद कुमार, उप जिला मजिस्ट्रेट बांसी, बृजेश कुमार आर0आई0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सिद्धार्थनगर की गठित कमेटी द्वारा थाना बांसी में लम्बित माल मुकदमाती, एमवीएक्ट से सम्बन्धित सीज शुदा कुल 39 वाहनों जिसमें 36 दोपहिया वाहन (माल मुकदमाती-23, एम0वी0 एक्ट में सीज -13), 02 चार पहिया वाहन मालमुकदमाती, 01 ट्रक माल मुकदमाती की नीलामी थाना बांसी परिसर में विधि सम्मत तरीके से करायी गयी। जिससे कुल नीलामी की धनराशि मय GST कुल ₹4,77,900/- का राजस्व प्राप्त हुआ। जिसको राजकीय कोषागार में जमा कराया जायेगा।

पूर्व में थाना शोहरतगढ़ से 98 वाहन, ढेबरुआ से 94 वाहन, डुमरियागंज से 93 वाहन, थाना इटवा से 72 वाहन, चिल्हिया से 45 वाहन, थाना मोहाना से 44 वाहन, थाना कपिलवस्तु से 26 वाहन, थान लोटन से 25 वाहन, थाना सिद्धार्थनगर से 24 वाहन, थाना उसका बाजार से 21 वाहन, थाना भवानीगंज से 14 वाहन, खेसरहा से 13 वाहन, पथरा बाजार से 11 वाहन, जोगिया उदयपुर से 09 वाहन, मिश्रौलिया से 04 वाहन, शिवनगर डिडई से 02 वाहनों की नीलामी करायी जा चुकी है। अब तक कुल 634 वाहनों की नीलामी से कुल ₹ 87,91,360/- राजस्व की प्राप्ति हुई है।







प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 19.01.2023 थाना सिद्धार्थनगर

थाना सिद्धार्थनगर पुलिस व जनपदीय एस0ओ0जी0, सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न थानाक्षेत्रों में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 नफर अन्तर्जनपदीय अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी के सोने व चांदी के आभूषण आदि व नगद ₹ 33500/- बरामद।

दिनांक 01.10.2022 को थाना सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 287/22 धारा 379 भा0द0वि0, दिनांक 04.12.2022 को पंजीकृत मु0अ0सं0-334/22 धारा 380 भा0द0वि0, थाना मोहाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 13/23 धारा 457/380 भादवि0 तथा थाना कपिलवस्तु पर पंजीकृत मु0अ0सं0 03/23 धारा 457/380 भादवि0 के सफल अनावरण हेतु अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था, गठित टीम द्वारा “अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व अखिलेश वर्मा क्षेत्राधिकारी सदर, के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना सिद्धार्थनगर, एस0ओ0जी0 व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.01.2023 को प्राप्त सूचना के आधार पर भीमापार ओवरब्रिज के पास से समय 04:30 बजे 05 नफर अन्तर्जनपदीय अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की गयी 04 जोड़ी चांदी की इस्तेमाली पायल व 17 जोड़ी चांदी का चुल्ला व 02 अदद सोने की कील व नगद ₹ 33500/- तथा 01 अदद एन्ड्राइड मोबाइल आदि बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना सिद्धार्थनगर व अन्य थाना मोहाना, कपिलवस्तु में पंजीकृत अभियोग में धारा 411 भा0द0वि0 की वृद्धि कर थाना सिद्धार्थनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय भेजा गया।

पुलिस टीम की पूछ-ताछ का विवरण-

पुलिस टीम की पूछ-ताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया वे अपने साथियों के साथ मिलकर रेकीकर, बन्द घरों व दुकानों का ताला तोड़कर चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद हमलोग जिला छोड़ देते हैं व

गोरखपुर चले जाते हैं, वहां मौजमस्ती करते हैं और चोरी की घटनाओं को कारित करते रहते हैं। जिससे हम लोगों की रोजी-रोटी चलती है।

बरामदगी का विवरण-

- 01- नगद ₹ 33500/- चोरी का।
- 02- 04 जोड़ी इस्तेमाली चांदी की पायल।
- 03- 02 अदद कील सोने का।
- 04- 17 जोड़ी चांदी पायल का।
- 05- 01 अदद रीयलमी एन्ड्राइड मोबाइल।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. राजू कुरैशी पुत्र सफी अहमद कुरैशी निवासी घोष कम्पनी, मियां बाजार थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर उम्र करीब 36 वर्ष।
2. जावेद कुरैशी पुत्र स्व० अब्दुल रज्जाक कुरैशी निवासी मोहल्ला शिवाजीनगर थाना व जिला सिद्धार्थनगर उम्र करीब 36 वर्ष।
3. दीपक कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी सेमरा न० 02 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर उम्र करीब 28 वर्ष।
4. रवि कुमार पुत्र रामरक्षा निवासी सेमरा नं० 02 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर उम्र करीब 20 वर्ष।
5. जयप्रकाश वर्मा पुत्र स्व० कृष्णा प्रसाद वर्मा निवासी शिवाजीनगर थाना व जिला सिद्धार्थनगर उम्र करीब 30 वर्ष।

अभियुक्त राजू कुरैशी पुत्र सफी अहमद कुरैशी का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 354/19 धारा 411/414 भादवि थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।

अभियुक्त जावेद कुरैशी पुत्र स्व० अब्दुल रज्जाक कुरैशी का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 299/2007 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एकट थाना व जनपद सिद्धार्थनगर
02. मु०अ०सं० 300/2007 धारा 3/25 आर्म्स एकट थाना व जनपद सिद्धार्थनगर

अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 321/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
02. मु0अ0सं0 1212/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
03. मु0अ0सं0 116/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
04. मु0अ0सं0 369/21 धारा 392/411 भादवि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
05. मु0अ0सं0 130/22 धारा 3/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
06. मु0अ0सं0 211/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
07. मु0अ0सं0 268/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
08. मु0अ0सं0 239/20 धारा 188/269 भादवि व धार 3 महामारी अधि0 एक्ट थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

अभियुक्त रवि कुमार पुत्र रामरक्षा का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 742/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
02. मु0अ0सं0 779/20 धारा 188/269 भादवि थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
03. मु0अ0सं0 1230/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
04. मु0अ0सं0 55/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
05. मु0अ0सं0 119/21 धारा 457/380/411/413/414 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
06. मु0अ0सं0 129/22 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
07. मु0अ0सं0 1287/20 धारा 457/380/411/413/414 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
08. मु0अ0सं0 1372/20 धारा 457/380/411/413/414 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 01- सतीश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02- उ0नि0 जीवन त्रिपाठी प्रभारी एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर

- 03- उ0नि0 शेषनाथ यादव प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद सिद्धार्थनगर
- 04- उ0नि0 शंशाक कुमार सिंह प्रभारी चौकी जेल रोड़ थाना व जिला सिद्धार्थनगर
- 05- उ0नि0 मनोज सिंह थाना व जिला सिद्धार्थनगर
- 06- उ0नि0 रतीश चंचल थाना व जिला सिद्धार्थनगर
- 07- हे0का0 राजीव शुक्ला एसओजी टीम सिद्धार्थनगर
- 08- हे0का0 अवनीश सिंह एसओजी टीम सिद्धार्थनगर
- 09- हे0का0 कैलाश नाथ यादव थाना व जिला सिद्धार्थनगर
- 10- हे0का0 पवन तिवारी थाना व जिला सिद्धार्थनगर
- 11- का0 प्रभाकर यादव थाना व जिला सिद्धार्थनगर
- 12- का0 मृत्युजंय कुमार थाना व जिला सिद्धार्थनगर
- 13- का0 संदीप कन्नौजिया थाना व जिला सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य थाना त्रिलोकपुर 19.01.2023

थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा सूचना के 12 घंटो के अंदर गुमशुदा हुए दो बालकों को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द ।

आज दिनांक 19.01.2023 को सुबह 06.30 बजे ग्राम साहिबागंज सिगारजोत थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर निवासी श्यामलाल पुत्र गरीब व राम कृपाल पुत्र लल्ला द्वारा सोशल मीडिया पर अपने बच्चों 1.विजय कमल यादव उम्र 14 वर्ष पुत्र रामकृपाल व अमर पुत्र श्याम लाल उम्र 13 वर्ष के गुमशुदगी के सन्दर्भ में सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर प्लेटफार्म पर पुलिस को सूचना दी गयी । पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द द्वारा गुमशुदा बच्चो की बरामदगी के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज राणा महेन्द्र प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर सूर्य प्रकाश सिंह व चौकी प्रभारी बिजौरा विश्वमोहन राय के नेतृत्व में मय पुलिस टीम के साथ बरामदगी हेतु तत्काल टीम गुमशुदा की तलाश हेतु रवाना किया गया । थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर के निर्देशों व सर्विलांस टीम, सी

प्लान ऐप की मदद से गुमशुदा उक्त गुमशुदा बालको को गोण्डा रेलवे स्टेशन रोड से सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया । त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही पर परिजनों व क्षेत्रवासियों द्वारा प्रसंशा व्यक्त की गयी ।

गुमशुदा बालकों को बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 01- सूर्य प्रकाश सिंह, थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02- विश्वमोहन राय, चौकी प्रभारी बिजौरा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- हे0का0 अशोक कुमार चौकी बिजौरा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04- का0 अभिषेक सिंह चौकी बिजौरा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट:दिनांक 19.01.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 19.01.2023 को सड़क सुरक्षा माह के पंद्रहवें दिवस पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात देवी गुलाम के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी0ए0 सिस्टम, पोस्टर पम्पलेट आदि के माध्यम से साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया एवम प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात टीम द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 वाहन चालक का चालान किया गया तथा वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया, जिससे कोहरे में वाहनों की दृश्यता बढ़ सके एवम सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके, वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का पालन न करने वाले 28 वाहनों से 31500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया ।